

अभिलेख उपस्थापित
की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन पेश किया गया है।
अभिलेख दिनांक 16.11.16 को रखें।

अनु 0 205A

16.11.16

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों
की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन की गई है।
अभिलेख दिनांक - 02.12.16 को रखें।

अनु 0 205A

02.12.16

अभिलेख उपस्थापित। अधिवक्ताओं के कलमों के
रखे के काले न्यायालय की कार्यवाही नहीं हो सकी।
अभिलेख दिनांक 21.12.16 को रखें।

अनु 0 205A

21.12.16

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के अनुपस्थित सदस्य
की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन प्रस्तुत किया
गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से वकालतन दायिगी
पेश किया गया है। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य
में व्यस्त है।
अभिलेख दिनांक 13.01.2017 को रखें।

अनु 0 205A D

13.01.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष
अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष की ओर से दायिगी प्रस्तुत किया गया है।
उक्त वाद की समय सीमा 6 माह समाप्त होकर
कालबाधित हो चुकी है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त
की जाती है।

13/01/17